

कृषि का महत्व और वर्तमान स्थिति

कृषि का महत्व

- GDP में लगभग 15.2 % योगदान (नवीनतम अनुमान)
- रोजगार का मुख्य स्रोत, 46% जनसंख्या को आजीविका
- खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है।
- कपड़ा, चीनी, जूट और कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
- सामाजिक-राजनीतिक महत्व- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण परिवार आजीविका के लिए इसी पर निर्भर हैं।
- निर्यात में योगदान देता है

कृषि की वर्तमान स्थिति

- GDP में लगभग 15.2 % योगदान
 - खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन मीट्रिक टन (MMT)
 - चावल : 150.18 MMT,
 - गेहूँ : 117.94 MMT
 - मक्का : 43.40 MMT,
 - श्री अन्न : 18.59 MMT,
 - दालें : (कुल दलहन - 25.68 MMT)
 - ✓ अरहर - 3.62 MMT
 - ✓ चना - 11.11 MMT
 - कुल तिलहन : 42.98 MMT
 - गन्ना : 454 MMT
 - कपास : 297.24 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम)
 - जूट : 88.02 लाख गांठें (प्रत्येक 180 किलोग्राम)
 - बागवानी : 362 MMT
 - दूध : 247.87 MT
- भारत चावल, दूध, दालों, मसालों, फल एवं सब्जियां, सूखे प्याज और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है।

- भारत गेहूं, गन्ना, कपास और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- पिछले पांच वर्षों में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर लगभग 4.4 प्रतिशत रही है।
- कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंचने का अनुमान है।

कृषि की समस्याएं

1. **खंडित भूमि जोत :-** लगभग 86% कृषक परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है (लघु एवं सीमांत किसान)

❖ सरकारी प्रयास :-

- भूमि सुधार
- जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
- किसी व्यक्ति के अधीन भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई (हदबंदी)
- भूमि चकबंदी (भूमि को एक साथ जोड़कर खेती करना)
- काश्तकारी सुधार लागू किए गए (काश्तकारों को भूमि पर स्वामित्व अधिकार और बेदखली से सुरक्षा प्रदान की गई)
- सहकारी खेती को बढ़ावा
- कृषक उत्पाद संगठन (एफपीओ) का गठन
- संविदा कृषि

2. **अस्पष्ट भू अभिलेख :-**

- उपनिवेशकालीन पुराने अभिलेख
- पुराने सर्वेक्षण व गलत नक्शे
- अस्पष्ट स्वामित्व

❖ सरकारी प्रयास :-

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (2016)
- भू आधार : Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN)
- स्वामित्व योजना (Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas, 2020)
 - ✓ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
 - ✓ यह गाँव की जमीनों (आबादी क्षेत्रों) का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करता है।
 - ✓ यह ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड प्रदान करता है, जिससे विवादों में कमी आती है और ऋण के लिए संपत्ति को गिरवी रखा जा सकता है।

- ✓ डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री, किसानों को एक डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाता है जिसमें किसान, भूमि, बोई गई फसल और सरकारी योजनाओं का विवरण होता है।

3. उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की कमी :-

❖ सरकारी प्रयास :-

- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन
 - ✓ उद्देश्य :- अनुसंधान में सुधार लाना और ऐसे बीज विकसित करना जो उच्च उपज देने वाले, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-प्रतिरोधी हों, जिससे खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ सुनिश्चित हों।
 - ✓ बजट :- 100 करोड़
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) :- धान, गेहूँ, दालों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज
- राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), 1963 :- प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण करता है।
- राज्य बीज निगम :- किसानों को रियायती बीज उपलब्ध कराता है
- बीज एवं पौध सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) :-
 - ✓ प्रारंभ :- 2014-15
 - ✓ इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और प्रमाणीकरण को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देकर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
 - ✓ इस मिशन के अंतर्गत बीज ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
 - ✓ बीज ग्राम कार्यक्रम: किसानों को बीज उत्पादन व वितरण हेतु प्रशिक्षित करना।

4. सिंचाई की समस्या :-

- भारत में, फसलों के अंतर्गत आने वाला लगभग आधा कृषि क्षेत्र पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है।
- सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं:-
 - ट्यूबवेल
 - नहर
 - तालाब
 - कुएँ

❖ सरकारी प्रयास :-

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
 - ✓ आरंभ तिथि :- 2015-16
 - ✓ मंत्रालय :- जल शक्ति मंत्रालय

✓ उद्देश्य :-

- (i) सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि,
- (ii) कृषि की जल उपयोग दक्षता में सुधार,
- (iii) परिशुद्ध सिंचाई को अपनाना बढ़ाना,
- (iv) भूमिगत जल का पुनर्भरण , और
- (v) सतत जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना।

✓ चार घटक :-

- (i) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम,
- (ii) हर खेत को पानी,
- (iii) प्रति बूंद अधिक फसल, और
- (iv) एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम

✓ वर्ष 2022-23 से, 'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत किया जा रहा है।

✓ सूक्ष्म सिंचाई कोष - नाबार्ड के अधीन 10,000 करोड़ रुपये का

○ अटल भूजल योजना :-

✓ प्रारम्भ : 2019

✓ मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

✓ 6,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना

✓ इस योजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 50:50 अनुपात में वित्त पोषित किया जा रहा है।

✓ इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल का सतत प्रबंधन करना है।

✓ इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित अति-दोहित और जल-संकटग्रस्त क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं।

5. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग :-

- मुख्य उर्वरकों के रूप में मिट्टी में नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटेशियम (K) का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन भारत में यह अनुपात 10.9 : 4.1 : 1 है।

❖ सरकारी प्रयास :-

- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) :- रासायनिक उर्वरक बनाने वाली कंपनी को विभिन्न पोषक तत्वों के वजन के आधार पर सब्सिडी दी जाती है लेकिन इसमें यूरिया शामिल नहीं है
- यूरिया की तस्करी रोकने के लिए नीम लेपित यूरिया का उपयोग

○ मृदा स्वास्थ्य कार्ड :-

- ✓ शुभारंभ : 19 फ़रवरी 2015
- ✓ टैगलाइन : स्वस्थ धरा खेत हरा
- ✓ प्रारंभ : सूरतगढ़
- ✓ मंत्रालय : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- ✓ उद्देश्य :-
 - (i) मृदा उर्वरता से संबंधित समस्याओं का पता लगाना
 - (ii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की सिफारिश भी करता है।
 - (iii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड में N, P, K (वृहद पोषक तत्व) सहित 12 मापदंडों के अनुसार मिट्टी की स्थिति दर्ज होती है।
 - (iv) मृदा के सैंपल आमतौर पर वर्ष में दो बार लिए जाते हैं।
 - (v) 2022-23 में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) में मिला दिया गया है।

○ PM-PRANAM :-

- ✓ प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट - अमेलियोरेशन ऑफ़ मंदर अर्थ
- ✓ घोषणा- बजट 2023-24
- ✓ उद्देश्य- रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा
- ✓ मंत्रालय- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- ✓ किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों की खपत को पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में कम करके बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाता है।

○ परम्परागत कृषि विकास योजना :-

- ✓ उद्देश्य :- जैविक खेती को बढ़ावा देना
- ✓ 50 या उससे अधिक किसानों को एकजुट करना और 50 एकड़ भूमि का एक समूह बनाकर उन्हें जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ✓ प्रत्येक किसान को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता।
- ✓ ऐसे 10,000 समूहों का निर्माण ताकि 5 लाख एकड़ भूमि पर जैविक खेती की जा सके।

✓ बाजार संपर्क स्थापित करना और जैविक उत्पादों का प्रमाणन करना।

○ नैनो उर्वरक :-

✓ नैनो उर्वरक एक प्रकार का उर्वरक है जो कृषि उत्पादन में पोषक तत्वों की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नैनो तकनीक का उपयोग करता है।

✓ नैनो उर्वरक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए नैनो आकार के कणों का उपयोग करते हैं।

✓ नैनो-यूरिया: यूरिया के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए।

✓ यूरिया गोल्ड: सल्फर की कमी को दूर करने के लिए।

6. कृषि यंत्रीकरण की समस्या :-

■ भारत में कृषि यंत्रीकरण बहुत कम है।

■ मुख्य कारण हैं:

○ सभी प्रकार की भूमि के लिए आधुनिक कृषि मशीनों का अभाव।

○ मशीनों की उच्च लागत:

○ ऋण की कम उपलब्धता:

❖ सरकारी प्रयास :-

○ कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM)

✓ प्रारंभ : 2014-15

✓ उद्देश्य : छोटे और सीमांत किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना

✓ मंत्रालय : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

✓ घटक :-

(i) उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

(ii) छोटे किसानों को महंगी मशीनें किराए पर उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों (CHC) को बढ़ावा देना।

(iii) समूह उपयोग के लिए कृषि मशीनरी बैंक

(iv) प्रदर्शन और प्रशिक्षण

○ नमो ड्रोन दीदी योजना :-

✓ शुरुवात : नवंबर 2023

✓ मंत्रालय : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

✓ उद्देश्य :-

(i) 15,000 महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन के माध्यम से सशक्त बनाना

- (ii) स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पैकेज पर 80% सब्सिडी (₹8 लाख तक) मिलती है
- (iii) शेष 20% कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के माध्यम से वित्तपोषित
- (iv) इसमें प्रशिक्षण, प्रमाणन और तकनीकी सहायता शामिल है
- (v) महिला स्वयं सहायता समूह किसानों को उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन किराए पर दे सकते हैं
- (vi) इससे प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी

7. ऋण की उपलब्धता की समस्या :-

- संस्थागत ऋण तक पहुंच गुणवत्तापूर्ण इनपुट, मशीनीकरण, सिंचाई, उन्नत प्रौद्योगिकियों और जलवायु-लचीली प्रथाओं में निवेश को सक्षम बनाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए

❖ सरकारी प्रयास :-

○ किसान क्रेडिट कार्ड योजना -

- ✓ आरंभ : 1998 (आर.वी. गुप्ता समिति की अनुशंसा पर)
- ✓ इस योजना के अंतर्गत, किसानों को निम्नलिखित के लिए ऋण प्रदान किया जाता है:-
 - (i) फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकता
 - (ii) कटाई के बाद के खर्च
 - (iii) कृषि उपज विपणन ऋण
 - (iv) घरेलू उपभोग आवश्यकताएँ
 - (v) कार्यशील पूँजी
 - (vi) दीर्घकालिक निवेश ऋण आवश्यकता।
- ✓ 2019 में इस योजना का विस्तार पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों तक भी कर दिया गया।

○ ब्याज अनुदान योजना -

- ✓ शुरुआत : 2006-07
- ✓ किसानों को केसीसी के माध्यम से 7% वार्षिक ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण
- ✓ समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त ब्याज सहायता भी प्रदान की जाती है।
- ✓ इस योजना को 2022 में संशोधित किया गया ताकि 2022-25 के बीच ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5% ब्याज सहायता प्रदान की जा सके और इसका नाम बदलकर संशोधित ब्याज अनुदान योजना कर दिया गया।
- ✓ बजट 2025-26 में ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

○ अन्य प्रयास :-

- ✓ किसान पोर्टल (केआरपी) 76 को 2023 में लॉन्च किया गया था।
- ✓ RBI के PSL मानदंड

- ✓ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों की स्थापना
- ✓ NABARD की स्थापना (1982)
- ✓ 2025-26 में, कृषि क्षेत्र को 28.69 लाख करोड़ रुपये के संस्थागत ऋण दिए गए

8. कम बीमा कवरेज की समस्या

- नाबार्ड के अनुसार, 10% कृषक परिवारों के पास फसल बीमा है, जबकि 2% के पास पशुधन बीमा है

❖ सरकारी प्रयास :-

○ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- ✓ शुरूआत : 2016
- ✓ केंद्रीय प्रायोजित योजना
- ✓ इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना है।
- ✓ यह योजना बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है।
- ✓ इसमें अधिसूचित खाद्यान्न, तिलहन और बागवानी फसलें उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान शामिल हैं।
- ✓ किसान के द्वारा प्रीमियम का भुगतान :-
 - (i) खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2%,
 - (ii) रबी फसलों के लिए 1.5%
 - (iii) बागवानी उत्पादों के लिए 5%
- ✓ शेष प्रीमियम का खर्च राज्य और केंद्र द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है।
- ✓ यह योजना 'क्षेत्रीय दृष्टिकोण' के आधार पर, यानी मुआवजा तय करने के लिए ग्राम पंचायत जैसे पूरे इकाई क्षेत्र की औसत उपज को ध्यान में रखा जाता है, न कि व्यक्तिगत किसान की उपज को।
- ✓ प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, किसानों को दावों के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल कटाई के डेटा को कैप्चर और अपलोड करने के लिए स्मार्टफ़ोन का उपयोग किया जा रहा है।
- ✓ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) की स्थापना की गई है।
- ✓ FIAT के अंतर्गत तकनीकी पहल :-
 1. प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) :- उपज अनुमान के लिए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी (रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी) का उपयोग किया जाता है।

2. मौसम सूचना एवं नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) :- इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र (AWS) और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षामापी (ARG) स्थापित करना है।

9. कृषि विपणन की समस्या

- मंडियों की संख्या सीमित है
- मंडियों द्वारा विभिन्न शुल्क और कर लगाए जाते हैं,
- परिवहन के दौरान फसल का नुकसान

❖ सरकारी प्रयास :-

- इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
 - ✓ प्रारंभ तिथि : 14 अप्रैल 2016
 - ✓ इस योजना का उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों को एक साझा ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से एकीकृत करना है।
 - ✓ 1300 से अधिक मंडियों को ई-नाम मंच के साथ एकीकृत किया जा चुका है।
 - ✓ इस योजना के तहत, सरकार
 - ✓ प्रति एपीएमसी बाजार 75 लाख रुपये तक की निःशुल्क सॉफ्टवेयर और सहायता प्रदान करती है।
- GrAM-ग्रामीण कृषि बाजार :-
 - ✓ 22000 हाट बाजार (साप्ताहिक या द्वि-साप्ताहिक बाजार) GrAM के रूप में विकसित किए गए हैं।
- मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 :-
 - ✓ सरकारी मंडियों के अलावा, निजी मंडियाँ भी स्थापित की जा सकती हैं।
 - ✓ यह अनुबंध खेती की अनुमति देता है।
- कृषि अवसंरचना कोष
 - ✓ केंद्रीय क्षेत्र की योजना जुलाई 2020 में शुरू की गई
 - ✓ निधि : ₹1,00,000 करोड़ (वित्त वर्ष 2029 तक 10 वर्षों में वितरित)।
 - ✓ नाबार्ड के अंतर्गत संचालित
 - ✓ इसका उद्देश्य फसल की कटाई के बाद अवसंरचना निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है।
 - ✓ ब्याज अनुदान : 7 वर्षों की अवधि के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋणों पर 3% प्रति वर्ष

10. किसानों की कम आय की समस्या :-

- कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएस) के अनुसार, 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 10218 रुपये थी।

❖ किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास :-

○ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना :-

- ✓ शुरुआत : 24 फरवरी 2019
- ✓ केंद्रीय क्षेत्र की योजना
- ✓ किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी कृषि योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये। यह राशि पात्र किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किश्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
- ✓ राजस्थान में, इसकी राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है (मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 3,000 रुपये अतिरिक्त)।

○ प्रधानमंत्री धनधान्य कृ-षि योजना :-

- ✓ 16 जुलाई, 2025 को स्वीकृत
- ✓ इस योजना का लक्ष्य 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को शामिल करना है।
- ✓ उद्देश्य :-
 - (i) उत्पादकता बढ़ाना,
 - (ii) फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना ,
 - (iii) सिंचाई और भंडारण में सुधार करना
 - (iv) ऋण की सुलभता सुनिश्चित करना है।
- ✓ इसका मुख्य ध्यान कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर होगा
- ✓ इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के आधार पर 100 जिलों की पहचान की गई है :
 - (i) कम उत्पादकता
 - (ii) कम फसल तीव्रता
 - (iii) कम ऋण वितरण
- ✓ हालाँकि, प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाना है।
- ✓ यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करती है , जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।
- ✓ जिला स्तरीय योजनाएं जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से तैयार की जाएंगी ।
- ✓ डिजिटल डैशबोर्ड , किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली पारदर्शिता, पहुंच और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

- ✓ यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित है
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना :-
 - ✓ शुभारंभ : 12 सितंबर 2019
 - ✓ केंद्रीय क्षेत्र योजना
 - ✓ मंत्रालय : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
 - ✓ उद्देश्य : छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
 - ✓ यह एक किसान पेंशन योजना है।
 - ✓ किसान 18-40 वर्ष की आयु के बीच इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
 - ✓ किसानों का अंशदान :-
 - (i) 18 वर्ष की आयु में जुड़ने पर न्यूनतम 55 रुपये
 - (ii) 40 वर्ष की आयु में जुड़ने पर अधिकतम 200 रुपये
 - ✓ सरकार द्वारा समान अंशदान
 - ✓ न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन : 60 वर्ष पूरे होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन
 - ✓ पारिवारिक पेंशन: व्यक्ति की मृत्यु होने पर, पेंशन का 50% (1500 रुपये) जीवनसाथी को दिया जाएगा
 - ✓ पेंशन निधि का प्रबंधन: जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (कुसुम योजना) :-
 - ✓ शुभारंभ: 8 मार्च 2019 से (31 मार्च 2026 तक)
 - ✓ उद्देश्य:-
 - (i) किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना,
 - (ii) किसानों की आय बढ़ाना,
 - (iii) कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
 - ✓ इस योजना के तीन मुख्य घटक हैं:-
 - (क) किसानों के लिए सौर पंप - किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप लगाने हेतु वित्तीय सहायता (सब्सिडी) मिलती है।
 - (ख) कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र - किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि पर छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र (2 मेगावाट तक) स्थापित कर सकते हैं और ग्रिड को बिजली बेच सकते हैं।
 - (ग) ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण - मौजूदा विद्युत पंपों को सौर पैनलों से जोड़ा जा सकता है, जिससे किसान बिजली के बिलों में बचत कर सकते हैं और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली भी प्रदान कर सकते हैं।

11. तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भरता की समस्या :-

- भारतीय कृषि उत्पादन चावल और गेहूँ की ओर झुका हुआ है।

❖ सरकारी प्रयास :-

○ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन) तिलहन -NMEO(तिलहन- :-

- ✓ केंद्रीय बजट 2022-23 में "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के एक भाग के रूप में घोषित।
- ✓ इस मिशन का उद्देश्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है।
- ✓ यह मिशन 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों की अवधि में 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।
- ✓ यह प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों जैसे रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित होगा।
- ✓ किसानों को उच्च उपज वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
- ✓ चावल और आलू की परती भूमि को लक्षित करके तिलहन खेती के क्षेत्र का विस्तार, अंतर-फसल को बढ़ावा देना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।
- ✓ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पाम ऑयल (NMEO-OP)
 - a. 2021 में शुरू किया गया
 - b. पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाने के लिए
- ✓ 2018 में, तिलहन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के अंतर्गत लाया गया।

○ दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन :-

- ✓ केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित
- ✓ अवधि : 6 वर्ष
- ✓ बजट आवंटन : मिशन के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित
- ✓ NAFED (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) और NCCF (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ) किसानों से दालें खरीदेंगे
- ✓ कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित।
- ✓ लक्षित फसलें :- तुअर/अरहर, उड़द, मसूर

○ कृषोन्नति योजना :-

- ✓ आठ योजनाओं का एक व्यापक समूह -

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM)
3. कृषि विस्तार उप-मिशन (SAME)
4. एकीकृत कृषि विपणन योजना
5. डिजिटल कृषि मिशन (DAM)
6. राष्ट्रीय खाद्य तेल - तिलहन मिशन (NMEO-OS)
7. राष्ट्रीय खाद्य तेल - ताड़ का तेल मिशन (NMEO-OP)
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

○ डिजिटल कृषि मिशन :-

- ✓ स्वीकृत तिथि: 2 सितंबर 2024
 - ✓ बजट: 2817 करोड़ रुपये
 - ✓ इसका प्राथमिक लक्ष्य कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना है।
 - ✓ मिशन के मुख्य स्तंभ :-
 - a. यह मिशन तीन प्रमुख डिजिटल आधारों पर टिका है -
 - (1) **एग्रीस्टैक :-** किसान की पहचान - यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करता है।
 - (i) **किसान आईडी :-** आधार कार्ड की तरह, यह भूमि रिकॉर्ड, पशुधन और लाभों को जोड़ेगा। लक्ष्य 2027 तक 11 करोड़ किसानों के लिए आईडी बनाना है।
- तीन घटक -
- **किसान रजिस्ट्री :** किसानों का डिजिटल डेटाबेस।
 - **भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र :** भूमि पार्सल को मानचित्रों से जोड़ना।
 - **फसल पंजीकरण :** वास्तविक समय में उगाई जा रही फसलों का डेटा।
- (2) **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली :** एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली जो रिमोट सेंसिंग डेटा को एकीकृत करती है। यह आपदा राहत और फसल निगरानी में सहायता के लिए फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों पर एकीकृत जानकारी प्रदान करती है।
 - (3) **मृदा प्रोफाइल मानचित्रण :-** किसानों को उर्वरक की सही मात्रा का उपयोग करने में सहायता के लिए मृदा गुणवत्ता के डिजिटल मानचित्र तैयार करना।